जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषयः—कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर में इस संस्था को जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि खसरा नं. 759/1 रकबा 0.99 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटित किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में लेख है कि कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर में इस संस्था को जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि खसरा नं. 759/1 रकबा 0.99 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन कराने के क्रम में जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत् आवेदन पत्रो की छायाप्रतियॉ इस यू.ओ.नोट के साथ संलग्न कर आपको भिजवाई जा रही है।

कृपया प्रकरण से सम्बन्धित आवेदन पत्रों को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

संलग्न—आवेदन पत्रो की छायाप्रतियॉ।

(आनन्दी लाल वैष्णव)
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

सिस्टम एनालिस्ट

क्रमांकः जविप्रा/अआ/एलपीसी/2022/डी— 867

दिनांकः— 08/06/2022

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः 4-867 दिनांक 08/06/2022

विज्ञप्ति

कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर में इस संस्था को जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि खसरा नं. 759/1 रकबा 0.99 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन कराने के क्रम में भूमि आवंटित की जानी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो 15 दिवस में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण

महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति (रजि.)

कार्यालय : लक्ष्मीनाथ आसरा, तहसील के पीछे, कस्बा चौमूँ (जयपुर) पिन 303702

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958, राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर से रजिस्टर्ड)

अध्यक्ष	संयोजक	संयोजक	सचिव
रामअवतार पारीक	भगवानसहाय पारीक	रघुवरदयाल पारीक	रामनिवास पारीक
(टाडावास वाले) चौमूँ	(महाराम की ढाणी) चौमूँ	(पटवारीजी) चौमूँ	(मोरीजा वाले)
मो. 9828021769	मो. 9784572557	मो. 9461670438	मो. 9928646211

क्रमांक/म.प.(पा.)से.स./ 383 दिनांक 14/2/2022

श्रीमान् आयुक्त महोदय,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

विषय :- कस्बा चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला–जयपुर मे संस्था को जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि खसरा नम्बर 759/1 रकबा 0.99 हैक्टेयर मे से 2500 वर्गमीटर भूमि आंवटित किये जाने बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कस्बा चौमूँ मे महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति (रजि0) चौमूँ, जिला–जयपुर का रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर से पंजीयन संख्या 431/2017–2018 दिनांक 03.08.2017 के तहत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था द्वारा स्थापना के पश्चात् से ही सामाजिक कार्यक्रम, युवक युवती परिचय सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह, सामूहिक विवाह कार्यक्रम आदि किये जाते रहे है। इस संस्था द्वारा 3 सामुहिक विवाह सम्मेलनो मे 35 वर–वधुओं का सामुहिक विवाह किया जा चुका है तथा तृतीय सामुहिक विवाह सम्मेलन मे राज्य सरकार द्वारा सामुहिक विवाह अनुदान भी इस संस्था को 17 जोडो का 3,000/– रूपये प्रति जोडा के हिसाब से 51,000/– रूपये एवं प्रत्येक वधुओं को 15,000/– रूपये का अनुदान भी प्राप्त हुआ है। इस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष सामुहिक विवाह सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। जिसमें कई हजारो समाज बन्धु उपस्थित होते हैं लेकिन अभी तक समाज के लिए कोई जगह भूमि नही है, जिसके लिए समाज को किराये का स्थान लेकर कार्यक्रम आयोजित करने पडते है और जिससे समाज को भयंकर आर्थिक क्षति कारित होती है तथा कस्बा चौमूँ एवं आस पास के ग्रामीण क्षेत्र से हजारो समाज बन्धु है।

.............2

अध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

जिनके लिए समाज को भूमि की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि राज्य सरकार द्वारा समाज को भूमि आवंटित कर दी जाती है तो समाज अपने स्तर पर आंवटित भूमि को विकसित करेगा, जिससे आम जनता को भी सुविधा प्रदान होगी तथा यह संस्था राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि को विकसित करने मे भरसक प्रयास करेगा तथा कस्बा चौमूॅ पटवार हल्का चौमूॅ–ए मे जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 759/1 रकबा 0.99 हैक्टेयर किश्म चरागाह है, जो मौके पर खाली है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि इस संस्था को कस्बा चौमूॅ मे जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि खसरा नम्बर 759/1 रकबा 0.99 हैक्टेयर मे से संस्था के लिए भूमि आंवटित करने की अनुशंषा प्रेषित करने की कृपा करें। जिससे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सुविधा प्राप्त हो सकें।

संलग्न :–

1. संस्था के पंजीयन की प्रति।
2. तीनो सामुहिक विवाह सम्मेलनो स्वीकृति की प्रति।
3. प्रतिभा सम्मान आयोजनो की प्रति।
4. संस्था का पेन कार्ड
5. संस्था ऑडिटेड बैलेन्सशीट।
6. समाचार पत्रो की प्रतियां।
7. प्रमाणित जमाबन्दी
8. प्रमाणित राजस्व नक्शा।

अध्यक्ष
(रामअवतार पारीक)
महर्षि पराशर पारीक सेवा समिति
चौमूं (जयपुर) राज.
अध्यक्ष

महर्षि पराशर पारीक सेवा समिति (रजि0)
चौमूॅ जिला–जयपुर मो0 9828021769

प्रपत्र- अ

चैरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/ संगठनों/ सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1.	संस्था/ संगठन का नाम	महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति (रजि०)
2.	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	अध्यक्ष राम अवतार पारीक
3.	डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.	कस्बा चौमू (जयपुर) 98280-21769
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	सामाजिक रीति विधियों के कार्य हे[illegible]
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	2500 वर्गमीटर
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	उपरोक्तानुसार
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण)	समाज अपने स्तर पर विकसित करेगा सामाजिक कार्यों की रीति-विधी सुचारु रूप से चलना
8.	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण।	Nil
9.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
(i)	रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	✓ संलग्न पृ०सं० 19[illegible]
(ii)	बाईलॉज/ रेग्युलेशन्स	✓ संलग्न पृ०सं० [illegible] से 3[illegible]
(iii)	गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेन्स शीट	✓ संलग्न पृ० सं० 05 से 6[illegible] पर
(iv)	संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	✓ संलग्न पृ०सं० 45 से 47 तक
(v)	प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)	संलग्न है पृ०सं० 39 से 44
(vi)	रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./ पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/ अधिशाषी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा-चौमू प्रथम पृष्ठ पर (संलग्न है) 445174-3423490012-16

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/ कम्पनी/ आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/ निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालन करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 18-2-2022

स्थान : चौमू (जयपुर)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति

चौमूँ (जयपुर) राज.

(५)

प्रपत्र-2

स्व- घोषणा पत्र

मैं/ ~~हम~~ राम अवतार पारीक .... पुत्र/ ~~पत्नी/ पुत्री~~ श्री ... — परमानन्द पारीक

उम्र ...61... वर्ष, निवासी ...चौमूं... जिला ...जयपुर...

राजस्थान् घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित समस्त सूचनाएं तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में सही एवं दुरुस्त है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में झूंठी/ असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी एवं मुझे इसके लिए विधि अनुसार दण्ड का सामान करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त किये गये हैं उन्हें पूर्ण रूप से वापिस ले लिया जाएगा।

दिनांक : 18-2-2022

स्थान : चौमूं (जयपुर

आवेदक के हस्ताक्षर

अध्यक्ष

महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति

चौमूं (जयपुर) राज.

(15) 7 7

आरएमजीबी
RMGB

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK
(भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित)
मुख्य शाखा–जोधपुर (306), जिला जोधपुर – 342 003 (राजस्थान)
Main Branch-Jodhpur (306), Dist. Jodhpur - 342 003 (Raj.)
Tel.No. 0291-2432854

IFSC: RMGB0000306

INTER OFFICE INSTRUMENT
(DRAFT / BANKER'S / MANAGER'S CHEQUE / PAY ORDER)

1	8	0	2	2	0	2	2
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

(Valid for 3 months / तीन माह के लिए वैध)

माँगे जाने पर
On Demand Pay SECRETARY IDA

रुपये
Rupees five thousand only.

या उनके आदेश पर Or Order

₹ 5000/-

प्राप्त मूल्य के लिये अदा करें / FOR VALUE RECEIVED

क्रेता का नाम / Name of the Purchaser महर्षि पराशर पारीक सेवा समिति जोधपुर

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Payable at par at all Branches of RMGB

प्रतिहस्ताक्षरित / COUNTER SIGNED
S.S. No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / AUTHORISED SIGNATORY
S.S. No. 5771

⑈445174⑈ 342348002⑆ 16

6 8 8

कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) चौमूँ

तहसील चौमूँ, जिला–जयपुर

क्रमांक / भू0अ0 / 2022 / 686 दिनांक 15/2/2022

श्रीमान् जिला कलक्टर (भू0अ0) महोदय,
जयपुर, जिला–जयपुर।

विषय :– कस्बा चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला–जयपुर मे संस्था को जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि खसरा नम्बर 759/1 रकबा 0.99 हैक्टेयर मे से 0.25 हैक्टेयर भूमि आंवटित हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कस्बा चौमूँ मे महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति (रजि0) चौमूँ, जिला–जयपुर का रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर से पंजीयन संख्या 431/2017–2018 दिनांक 03.08.2017 के तहत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था द्वारा स्थापना के पश्चात् से ही सामाजिक कार्यक्रम, युवक युवती परिचय सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह, सामूहिक विवाह कार्यक्रम आदि किये जाते रहे है। इस संस्था द्वारा 3 सामुहिक विवाह सम्मेलनो मे 35 वर–वधुओं का सामुहिक विवाह किया जा चुका है। जिनके पास भूमि नही हैं, जिस बाबत् पटवार हल्का चौमूँ–ए से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कस्बा चौमूँ मे जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की भूमि खसरा नम्बर 759/1 रकबा 0.99 हैक्टेयर किशम चरागाह है, जो वर्तमान मे खाली है और ना ही कोई वाद विवाद लम्बित हैं जिसमें से इस संस्था को 50X50 मीटर (0.25 हैक्टेयर) भूमि आवंटित किये जाने हेतु पत्र श्रीमान् जी की सेवा मे अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :–
राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी
व नक्शा।

तहसीलदार (भू0अ0)
तहसील चौमूँ (जयपुर)

तहसीलदार (भू0अ0)
तहसील चौमूँ (जयपुर)

(7) 7

प्रपत्र पी-26 (गी)
(देखिये नियम 153 ग)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- चौमू
पटवार हल्का :- चौमूं ए
भू.अभि.नि. :- चौमूं
तहसील :- चौमू
जिला :- जयपुर

अंतिम चौमाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी।
भूमि धारक का नाम :- राज:सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1060
खाता संख्या पुराना :- 896

काश्तकार का नाम:-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण हिस्सा- पूर्ण na खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1001/1	2.2200	गै.मु.नाला	2.2200				
1001/2	0.1100	गै.मु.श्मशान	0.1100				
1031	0.1000	गै.मु.चाह	0.1000				
1049/7411	0.0500	चाही 1	0.0300	1.20	1033		
		जाव 1	0.0200	0.40	1033		
105	0.0800	चाही 2	0.0300	1.04	123		
		जाव 2	0.0500	0.87	123		
1050	0.0100	बारानी A	0.0100	0.11			
1051	0.0500	बारानी A	0.0500	0.55			
106	0.2500	गै.मु.नाला	0.2500				
1069	0.0600	बारानी A	0.0600	0.66			
1078	0.0400	बारानी A	0.0400	0.44			
1087	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200				
1089	0.3700	गै.मु.नाला	0.3700				
1099	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300				
1109	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300				
1110	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200				
1111	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200				
1112	0.5000	गै.मु.रास्ता	0.5000				
1113	0.0600	गै.मु.रास्ता	0.0600				
1138	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500				
1142	0.0600	गै.मु.रास्ता	0.0600				
1162	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800				
1198	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200				
1220	0.1600	गै.मु.रास्ता	0.1600				
1252	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100				
1257	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400				
1258	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500				
1260/7525	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300				
1262	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300				
1263	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400				
1267	0.0600	गै.मु.रास्ता	0.0600				
1273	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300				
1282	0.5200	गै.मु.रास्ता	0.5200				

Priyanka 7/2/22
पटवारी
पटवार मण्डल, चौमूँ
तहसील—चौमूँ, (जयपुर)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

(10)

ग्राम का नाम :- चौमू
पटवार हल्का :- चौमूं ए
भू.अभि.नि. :- चौमूं
तहसील :- चौमू
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थापित।
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1060
खाता संख्या पुराना :- 896

1282/8222	0.4700	गै.मु.रास्ता	0.4700		
1283/7357	0.0600	बारानी A	0.0600	0.66	
1311/7527	0.0900	जाव 1	0.0900	1.80	1314
1317	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500		
1362/7529	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
1366/7530	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
1367/7531	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200		
1374/7536	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
1375/7537	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
1397/7538	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
1399/7542	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300		
1444	0.3600	गै.मु.रास्ता	0.3600		
1445	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000		
1506	1.0500	गै.मु.नाला	1.0500		
1506/8202	1.4900	गै.मु.नाला	1.4900		
1538	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400		
1539	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300		
1549	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300		
1624	0.8100	गै.मु.नाला	0.8100		
1627	0.0800	गै.मु.नाला	0.0800		
1631	0.0500	जाव 3	0.0500	0.55	1641
1632	0.0600	जाव 3	0.0600	0.66	1641
1633	0.0300	जाव 3	0.0300	0.33	1641
165	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500		
1681	0.3600	बारानी 2	0.3600	1.80	
1682	0.5400	गै.मु.नाला	0.5400		
1698	0.0400	गै.मु.श्मशान	0.0400		
1699	0.1600	गै.मु.नाला	0.1600		
1701	0.0700	गै.मु.नाला	0.0700		
1702/7562	0.0400	चाही 2	0.0400	1.38	1745
1703/7736	0.0200	चाही 2	0.0200	0.69	1752
1796	0.3900	गै.मु.रास्ता	0.3900		
1810	1.7900	चरागाह	1.7900		
1811	0.0100	चरागाह	0.0100		
1825	0.2900	गै.मु.रास्ता	0.2900		
1835	0.2600	गै.मु.रास्ता	0.2600		
1861	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300		
1862/7577	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300		

Priyanka 7/2/22
पटवारी
पटवार मण्डल, चौमूँ
तहसील-चौमूँ (जयपुर)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

(देखिये नियम 153 ग)

ग्राम का नाम :- चौमू

पटवार हल्का :- चौमूं ए

भू.अभि.नि. :- चौमूं

तहसील :- चौमू

जिला :- जयपुर

अंतिम चौगाना आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी।

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 1060

खाता संख्या पुराना :- 896

188	0.8600	गै.मु.रास्ता	0.8600	
1953	0.2300	गै.मु.नाला	0.2300	
1999/2	0.2100	चाही A	0.2100	9.66
2000/1	0.2100	चाही A	0.2100	9.66
2052	0.1300	गै.मु.रास्ता	0.1300	
2065	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700	
2100	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100	
2140	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900	
2261	0.0700	गै.मु.श्मशान	0.0700	
2269/7604	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200	
2269/7605	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300	
2272/7606	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200	
2273	0.3200	गै.मु.रास्ता	0.3200	
2274	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100	
2330	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400	
2341/7362	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700	
2341/7611	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400	
2348	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800	
2355	0.3700	गै.मु.रास्ता	0.3700	
2385	0.4500	गै.मु.रास्ता	0.4500	
2409	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
2419	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400	
2456	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100	
2463	0.1500	चरागाह	0.1500	
2464	0.0700	चरागाह	0.0700	
2466	0.0600	चरागाह	0.0600	
2471	0.4500	चरागाह	0.4500	
2522	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900	
2536	0.1900	गै.मु.रास्ता	0.1900	
2555/2	0.2500	गै.मु.श्मशान	0.2500	
2563	0.1800	गै.मु.श्मशान	0.1800	
2577	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300	
2578	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400	
2609	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400	
2615	0.8700	गै.मु.श्मशान	0.8700	
2615/7621	0.0600	गै.मु.रास्ता	0.0600	
2615/7622	0.1600	गै.मु.श्मशान	0.1600	
2616	1.1700	गै.मु.श्मशान	1.1700	

(12)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- चौमू
पटवार हल्का :- चौमूं ए
भू.अभि.नि. :- चौमूं
तहसील :- चौमू
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1060
खाता संख्या पुराना :- 896

2616/7623	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200	
2616/7624	0.0800	गै.मु.श्मशान	0.0800	
2617	0.1200	गै.मु.श्मशान	0.1200	
2618	0.3000	गै.मु.श्मशान	0.3000	
2618/7443	0.1100	गै.मु.श्मशान	0.1100	
2618/7625	0.0300	गै.मु.श्मशान	0.0300	
2618/7626	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000	
2618/7627	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300	
2618/7628	0.2400	गै.मु.श्मशान	0.2400	
2619	0.4000	गै.मु.श्मशान	0.4000	
2619/7629	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400	
2620/7630	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200	
2651	0.2600	गै.मु.रास्ता	0.2600	
2652	1.1200	गै.मु.रास्ता	1.1200	
2707	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800	
2725	0.3900	गै.मु.रास्ता	0.3900	
275	0.2100	गै.मु.रास्ता	0.2100	
2858	0.5000	गै.मु.कब्रिस्तान	0.5000	
2876	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900	
288/7496	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400	
2882	0.0700	बारानी 2	0.0700	0.35
2883	0.0100	बारानी 2	0.0100	0.05
2884	0.7500	गै.मु.नाला	0.7500	
2884/7641	0.1100	गै.मु.नाला	0.1100	
289/7497	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400	
2970	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300	
2973	0.1300	गै.मु.रास्ता	0.1300	
2974	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700	
301	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300	
3016	0.2100	गै.मु.रास्ता	0.2100	
302	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400	
3054	0.1400	गै.मु.रास्ता	0.1400	
3073	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100	
3076/1	0.0900	चाही 1	0.0900	3.60
3108/1	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100	
3108/3	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400	
3144	0.2800	चरागाह	0.2800	
3145	0.2300	चरागाह	0.2300	

Priyanka
7/2/23
पटवारी
पटवार मंडल, चौमूँ
तहसील—चौमूँ (जयपुर)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- चौमू
पटवार हल्का :- चौमूं ए
भू.अभि.नि. :- चौमूं
तहसील :- चौमू
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1060
खाता संख्या पुराना :- 896

3147/7646	0.0800	चरागाह	0.0800
3148/1	0.1300	गै.मु.सड़क	0.1300
3148/3	0.6900	गै.मु.सड़क	0.6900
3149/1	1.7400	चरागाह	1.7400
3149/3	1.9700	चरागाह	1.9700
3150	0.0400	चरागाह	0.0400
3151/2	0.0800	चरागाह	0.0800
3152/2	0.1300	चरागाह	0.1300
3153/2	0.1400	चरागाह	0.1400
3154	0.1500	चरागाह	0.1500
3155	0.1200	चरागाह	0.1200
3156	0.3100	चरागाह	0.3100
3157	0.2700	चरागाह	0.2700
3158	0.2500	चरागाह	0.2500
3159	0.1700	चरागाह	0.1700
3160	0.1500	चरागाह	0.1500
3161	2.0200	चरागाह	2.0200
3162/1	0.2300	गै.मु.नाला	0.2300
3162/3	0.9900	गै.मु.नाला	0.9900
3166/1	0.1000	चरागाह	0.1000
3166/4	0.2200	चरागाह	0.2200
3166/5	4.8600	चरागाह	4.8600
3167	0.0200	चरागाह	0.0200
3168 आबादी	0.0400	चरागाह	0.0400
3169	0.0600	चरागाह	0.0600
3170	0.0300	चरागाह	0.0300
3171/2	0.0400	चरागाह	0.0400
3175	0.1100	चरागाह	0.1100
3185	0.0100	चरागाह	0.0100
3186	0.2000	चरागाह	0.2000
3202	0.1700	चरागाह	0.1700
3203 आबादी	0.0800	चरागाह	0.0800
3216	0.2100	चरागाह	0.2100
3218	0.0800	चरागाह	0.0800
3219	0.2000	चरागाह	0.2000
3224	0.0600	चरागाह	0.0600

Priyanka
7/2/22
पटवारी
पटवार हल्का चौमूं
तहसील चौमूं (जयपुर)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- चौमू
पटवार हल्का :- चौमूं ए
भू.अभि.नि. :- चौमूं
तहसील :- चौमू
जिला :- जयपुर

अंतिम चौगाना आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी।
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1060
खाता संख्या पुराना :- 896

3225	0.0800	चरागाह	0.0800		
3249	0.3000	चाही 2	0.3000	10.35	3255
3250	0.1600	चाही 3	0.1600	3.52	3255
3251/7650	0.0400	चाही 3	0.0400	0.88	3255
3252/7651	0.0500	चाही 3	0.0500	1.10	3255
3253/7652	0.0100	चाही 3	0.0100	0.22	3255
3259	0.2000	गै.मु.नाला	0.2000		
3276	0.0300	चरागाह	0.0300		
3278	0.1300	चरागाह	0.1300		
3281	0.1700	चरागाह	0.1700		
3282	0.1300	चरागाह	0.1300		
3283	0.1100	चरागाह	0.1100		
3284	0.0900	चरागाह	0.0900		
3285	0.2800	चरागाह	0.2800		
3286	0.0500	गै.मु.नाला	0.0500		
3286/7654	0.1200	चरागाह	0.1200		
3287	0.0800	चरागाह	0.0800		
3288	0.0700	चरागाह	0.0700		
3297	0.1600	चरागाह	0.1600		
3298	0.6100	चरागाह	0.6100		
3299	0.0500	चरागाह	0.0500		
3308	0.0500	गै.मु.लाईन	0.0500		
3309/7633	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300		
3310	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500		
3325/7751	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
3330/7801	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200		
3334/7634	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
3336/7806	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
338/7498	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400		
386/7502	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400		
387/7503	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400		
389/7504	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500		
392	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900		
393/8061	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500		
394	0.3800	गै.मु.रास्ता	0.3800		
395	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200		
3992	0.8100	गै.मु.रास्ता	0.8100		
3997/8017	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		

पटवारी
पटवार मण्डल, चौमूं
तहसील-चौमूं (जयपुर)

(13) 15

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- चौमू
पटवार हल्का :- चौमूं ए
भू.अभि.नि. :- चौमूं
तहसील :- चौमू
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी।
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1060
खाता संख्या पुराना :- 896

3999	0.1300	चरागाह	0.1300		
4000/8225	0.0700	गै.मु.सड़क	0.0700		
4005/7762	0.0600	गै.मु.रास्ता	0.0600		
4010/7763	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200		
4019	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
402	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400		
4036	0.1700	बारानी 1	0.1700	1.36	
4060	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900		
407	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900		
408	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300		
409	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800		
41	0.0900	चाही 2	0.0300	1.04	67
		जाव 2	0.0600	1.04	67
410	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
4107/8038	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300		
4109/7770	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200		
411	0.7100	गै.मु.नाला	0.7100		
4121/7774	0.0200	चरागाह	0.0200		
4122/7775	0.0700	चरागाह	0.0700		
4133/8040	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
4137	0.0900	चरागाह	0.0900		
4138	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100		
4139	0.3800	चरागाह	0.3800		
4140	0.1000	चरागाह	0.1000		
4143	0.0400	चरागाह	0.0400		
4144	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100		
4145	0.0400	चरागाह	0.0400		
4149	0.5200	चरागाह	0.5200		
4150	0.8300	चरागाह	0.8300		
4152	0.2800	चरागाह	0.2800		
4153	0.7400	गै.मु.रास्ता	0.7400		
4187	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100		
42	0.0200	बारानी A	0.0200	0.22	
4202	0.0600	गै.मु.चाह	0.0600		
4218/7786	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400		
4218/7787	0.0700	गै.मु.श्मशान	0.0700		
422	0.0600	गै.मु.रास्ता	0.0600		
4222	0.2900	गै.मु.रास्ता	0.2900		

Priyanka 7/2/22
पटवारी
पटवार मण्डल, चौमूं
तहसील चौमूं (जयपुर)

(14) 1(

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- चौमू
पटवार हल्का :- चौमूं ए
भू.अभि.नि. :- चौमूं
तहसील :- चौमू
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1060
खाता संख्या पुराना :- 896

4258	0.0500	गै.मु.श्मशान	0.0500
4260	0.7400	गै.मु.श्मशान	0.7400
4261	0.0700	गै.मु.श्मशान	0.0700
4278	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000
4389	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400
4404	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300
4442	0.4700	गै.मु.रास्ता	0.4700
4449	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500
445	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200
446/7505	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100
4461	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500
447/7506	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400
448	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200
449	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200
450/7507	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300
4510	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800
452/7508	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200
454	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200
4546	0.1800	गै.मु.रास्ता	0.1800
457	0.1200	गै.मु.रास्ता	0.1200
4621	0.0600	गै.मु.श्मशान	0.0600
4622	0.0700	गै.मु.श्मशान	0.0700
4623/2	1.9900	गै.मु.श्मशान	1.9900
4624	0.0500	गै.मु.श्मशान	0.0500
4625	0.1500	गै.मु.श्मशान	0.1500
4626	0.0300	गै.मु.श्मशान	0.0300
4651	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100
4666	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900
4667	0.4700	गै.मु.रास्ता	0.4700
4684/7820	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000
4686	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500
4693	0.5300	गै.मु.रास्ता	0.5300
4746	0.4400	गै.मु.रास्ता	0.4400
4748	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700
4850/8108	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300
4851	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100
4852/8037	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800
4854	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300

Priyanka
पटवारी
पटवार मंडल, चौमूं
तहसील-चौमूं, (जयपुर)

(152)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- चौमू

पटवार हल्का :- चौमूं ए

भू.अभि.नि. :- चौमूं

तहसील :- चौमू

जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) मे स्थापित

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 1060

खाता संख्या पुराना :- 896

496/8063	0.2700	गै.मु.नाला	0.2700		
497/8064	0.1600	गै.मु.नाला	0.1600		
498	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200		
499	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800		
500	0.0500	गै.मु.नाला	0.0500		
501	0.1600	बारानी 2	0.1600	0.80	
502	0.0500	बारानी 2	0.0500	0.25	
503/8062	0.1900	गै.मु.नाला	0.1900		
513/2	0.0500	बारानी 2	0.0500	0.25	
516	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100		
536	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400		
538	0.4200	गै.मु.नाला	0.4200		
542	0.7800	गै.मु.नाला	0.7800		
543/1	1.0500	गै.मु.नाला	1.0500		
543/3	0.0300	गै.मु.नाला	0.0300		
543/4	0.5800	गै.मु.नाला	0.5800		
544	1.4500	बारानी 2	1.4500	7.25	
545	0.0100	बारानी 2	0.0100	0.05	
546/8065	0.0900	बारानी 2	0.0900	0.45	
546/8119	0.1100	बारानी 2	0.1100	0.55	
549	0.0200	गै.मु.श्मशान	0.0200		
556	0.0500	बारानी 3	0.0500	0.15	
557	0.1300	चाही 3	0.0600	1.32	586
		जाव 3	0.0700	0.77	586
558	0.1800	बारानी 3	0.1800	0.54	
559	0.1000	बारानी 3	0.1000	0.30	
584/1	0.1200	गै.मु.रास्ता	0.1200		
584/3	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500		
617	0.2000	गै.मु.नाला	0.2000		
645	0.1700	गै.मु.नाला	0.1700		
725	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700		
726	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200		
727	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200		
728	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500		
729	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
732	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
733	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200		
742	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200		

Priyanka 7/2/22

पटवारी
पटवार मंडल, चौमूं
तहसील चौमूं, (जयपुर)

(16) (8

प्रपत्र पा-26 (सा)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- चौमू
पटवार हल्का :- चौमूं ए
भू.अभि.नि. :- चौमूं
तहसील :- चौमू
जिला :- जयपुर

अंनिम चौसाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1060
खाता संख्या पुराना :- 896

743	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400		
745/1	0.0100	चरागाह	0.0100		
745/3	0.3700	चरागाह	0.3700		
748	0.7800	चरागाह	0.7800		
749	2.7800	चरागाह	2.7800		
750	0.3600	चरागाह	0.3600		
751	0.4200	चरागाह	0.4200		
752	0.1100	चरागाह	0.1100		
753	0.8000	चरागाह	0.8000		
754/2	0.1200	चरागाह	0.1200		
757	0.4300	गै.मु.नाला	0.4300		
758	0.3200	चरागाह	0.3200		
759/1	0.9900	चरागाह	0.9900		
759/3	0.3500	चरागाह	0.3500		
760/1	0.0500	गै.मु.नाला	0.0500		
760/3	0.3000	गै.मु.नाला	0.3000		
761	0.0600	गै.मु.चाह	0.0600		
762	0.0600	चरागाह	0.0600		
763	0.0600	चरागाह	0.0600		
765	0.0200	चाही 2	0.0100	0.35	770
		जाव 2	0.0100	0.17	770
766	0.0100	जाव 2	0.0100	0.17	770
768	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000		
784	0.6900	गै.मु.नाला	0.6900		
806	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500		
811	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100		
812	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200		
813	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200		
8278/744	0.0100	चरागाह	0.0100		
8280/744	0.0500	चरागाह	0.0500		
833	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400		
834	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400		
851	0.9800	गै.मु.रास्ता	0.9800		
851/8226	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300		
856/7512	0.0300	चाही A	0.0300	1.38	880
857/7513	0.0300	चाही A	0.0300	1.38	880
863/7514	0.0300	बारानी A	0.0300	0.33	
89	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400		

Vijender 7/2/22
पटवारी
पटवार मण्डल, चौमूँ
तहसील--चौमूँ (जयपुर)

(177) 14

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- चौमू

पटवार हल्का :- चौमूं ए

भू.अभि.नि. :- चौमूं

तहसील :- चौमू

जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) मे स्थापित।

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 1060

खाता संख्या पुराना :- 896

930/7515	0.0500	चाही A	0.0500	2.30	918
931	0.2300	बारानी A	0.2300	2.53	
936	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400		
96 रास्ता	0.5400	गै.मु.रास्ता	0.5400		
976	0.5400	गै.मु.रास्ता	0.5400		
979	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100		
कुल खसरे - 375	79.6500		79.6500	77.4800	

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 7-Feb-2022

NIC

सत्यप्रति

P35 9684 7/2/2022

Priyanka 7/2/22

पटवारी चौमूं A

(187) 20

राजस्थान सरकार	NIC-BHUNAKSHA
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)	दिनांक : 07/02/2022 12:36:29 PM

जिला : जयपुर तहसील : चौमू भू. अ. नि. क्षेत्र : चौमूं

पटवारी हल्का : चौमूं ए ग्राम : चौमू

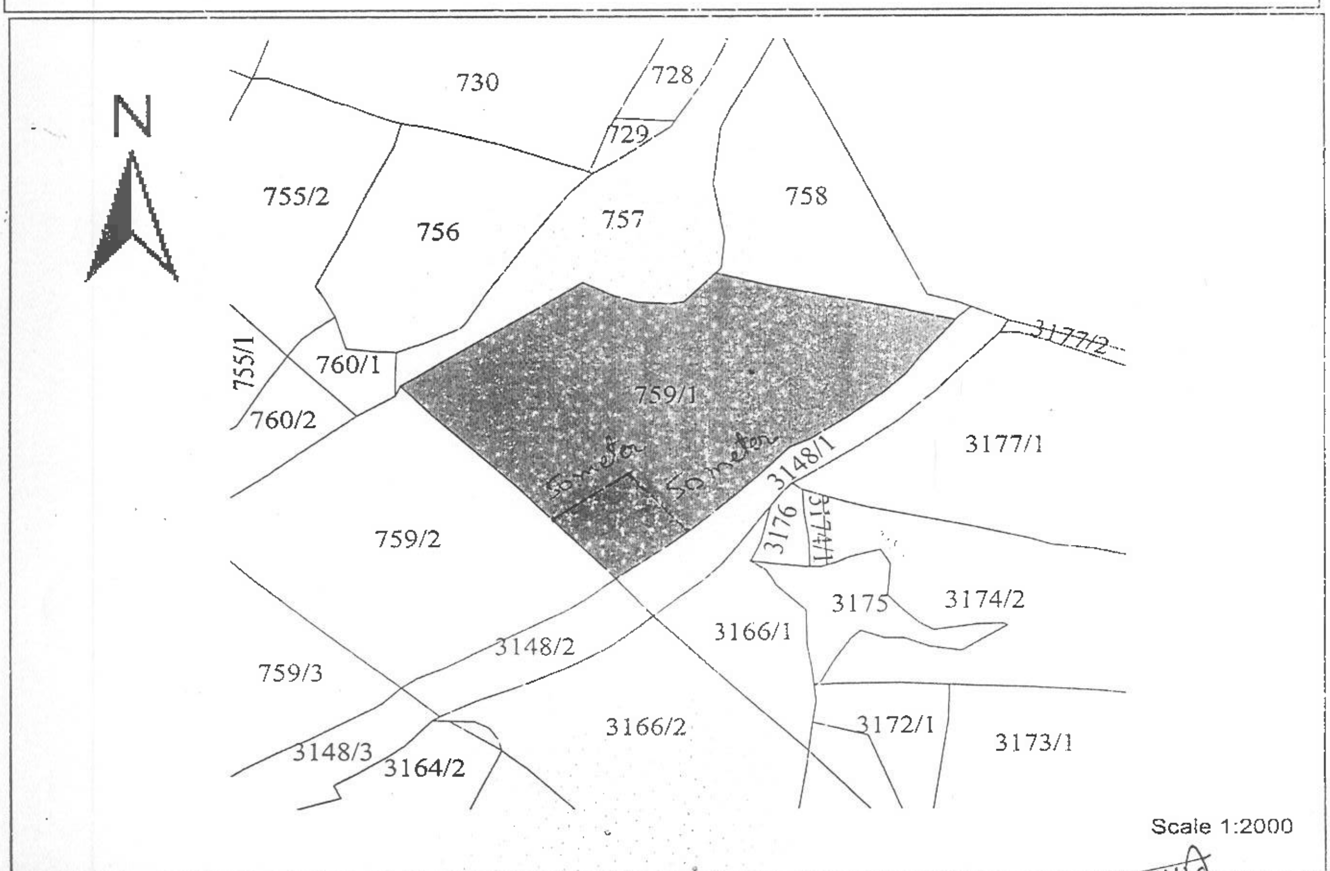

खसरा संख्या :759/1 क्षेत्रफल : 0.9900 Hectare खाता संख्या : 1060पुराना खाता संख्या :939

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: चरागाह [0.9900]

1.) जयपुर विकास प्राधिकरण हिस्सा- पूर्ण na खातेदार

Note :- 50 x 50 मी० प्रस्तावित भूमि है।

Priyanka

P35 9684 सत्यप्रति 7/2/2022

Priyanka 7/2/22 प० चौमूं A

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

(पृ) 21

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 431 जयपुर/2017-18

यह प्रमाणित किया जाता है कि महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति चौमू जिला-जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक तीन माह अगस्त सन् दो हजार सत्रह को जयपुर में किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर (मुहर) सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रार संस्थाएं
(आर. के. मीना)
रजिस्ट्रार संस्थाएँ (जयपुर)

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर फोन : 2751417

(20) 22

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर।

क्रमांक फा/रजि/संस्थायें/ 362 जयपुर, दिनांक 3-8-17

अध्यक्ष/मन्त्री,

महर्षि पराशर (पारीक)
सेवा समिति चौमू
....

विषय :-राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के क्रम में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 431/जयपुर 17-18 दिनांक 3-8-2017 संलग्न है। जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनायें भिजवाना आवश्यक है :-

1. संस्था में मामलों का प्रबन्ध जिनको सौंपा गया है, उक्त परिषद् समिति या अन्य शाषी निकाय के शाषकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद सहित।

2. एक विवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।

3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तातारीख सही प्रतिलिपि जो शाषी निकाय के शासकों, न्यासी या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

   इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियां सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

4. संस्था द्वारा प्रस्तुत विधान नियमावली, दस्तावेजों, सूचनाओं में यदि कोई गलत, मिथ्या सूचना अंकित किया जाना प्रमाणित होता है अथवा यदि संस्था द्वारा जांच/निरीक्षण कराये जाने से इन्कार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को संशोधित विधान नियमावली, चुनाव सूचना इत्यादि तथा पंजीयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

   यदि संस्था द्वारा धारा 4 व 4(क) की सूचनायें प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संस्था प्रथम दोष सिद्ध पर 500/- जुर्माना तथा दोष सिद्धी जारी रहने पर 50/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने के दण्ड की भागीदारी होगी।

20 II 253

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात् चूक जारी रहती है, 50/- से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में धारा 4 (क) के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण-पत्र या नियमों और विनियमों की या उनके किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्ट या लेख करता या करवाता है तो वह सिद्धी पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो 2000/- रुपये तक का हो सकता है तथा मिथ्या प्रविष्टि प्रमाणित होने पर ऐसे नियमों, विनियमों व पदाधिकारियों की सूची निरस्त करने का रजिस्ट्रार को पूर्ण अधिकार होगा।

नोट :- इस कार्यालय में भविष्य में किसी भी प्रमार का पत्र-व्यवहार करते समय संस्था रजिस्ट्रेशन क्रमांक व दिनांक अवश्य अंकित करें।

संलग्न : मूल प्रमाण-पत्र एवं विधान व
विधान व नामावली।

रजिस्ट्रार संस्थायें,
जयपुर।

(21) 24

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

विक्रेता :

राज पंचायत प्रकाशन

धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर-3

फोन : 2312402

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

संघ-विधान पत्र तथा विधान (नियमावली)

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र अथवा संस्था के प्रबन्धन के स्वरूप के अनुसार इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन तभी मान्य होगा, जबकि वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं, किन्तु प्रबन्धकारिणी में न्यूनतम 3 पदाधिकारी होना आवश्यक है।
3. संस्था के उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होने आवश्यक हैं। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर सभी आवेदक सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।
9. **धारा-20 : सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:-** इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात्:-

   पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [1][खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।
10. राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष अथवा किन्हीं तीन पदाधिकारियों चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जावे,के **राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र** एवं प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् **शपथ-पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावे। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा की जाकर प्रमाणित करवायी जावे।**
12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

---

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

True copy

(प्रति) 25

थवा संस्था
गा, जबकि
सकते हैं,
था के
5 पर सभी
7 सदस्यों
के अधीन
या ललित
र के लिये
प्रतिष्ठान
प्राकृतिक
साइटियां।
उसमें दिये
ने जावे, क
क्-पृथक्
कर प्रस्तुत
कार्य नहीं

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये ।
14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये ।
15. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में जिले के रजिस्ट्रार संस्थाऐं को व्यक्तिगत रूप से अथवा उनके कार्यालय में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावें ।
16. आवेदित प्रार्थना पत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र हेतु मेम्बर नगरपालिका, सरपंच ग्राम पंचायत या विकास अधिकारी द्वारा एवं शहरी क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय पार्षद नगर परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक है ।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे ।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये ।
19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रैजूएट होने आवश्यक हैं ।
20 अन्य संस्थाऐं जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा ।
21. रजिस्ट्रेशन फीस संबंधी अधिसूचनाएं पृष्ठ 24 पर देखें ।
22. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबन्धकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये । परिवार से तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें पति और पत्नि, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हो तथा पति की विधवा मां जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो ।
23. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

नोट : रजिस्ट्रार संस्थाऐं द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार संस्थाऐं के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे ।

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार संस्थायें,

........जयपुर........

विषय : संस्था पंजीकरण हेतु ।

महोदय,

निवेदन है कि इस आवेदकगण जिनका विवरण संलग्न संघ विधान पत्र में अंकित है ....

....महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति -चौमूँ....
के नाम से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं।

कृपया हमारी संस्था का पंजीयन करने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें ।

भवदीय

[signature]

(अध्यक्ष/मंत्री)

संलग्न : संघ विधान-पत्र
तथा विधान (नियमावली)

True Copy

[signature]

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति-चौमूँ समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति -चौमूँ समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय धौली मण्डी - चौमूँ ~~सम्पूर्ण राजस्थान~~ जयपुर जिला है तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. ⇒ समाज को एक मंच पर जोड़ना
2. ⇒ समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं बुराईयों को दूर करने हेतु जागृति लाना।
3. ⇒ निरक्षर बालक बालिकाओं को साक्षर करवाने में योगदान देना।
4. ⇒ समाज में सामूहिक विवाह जैसे अच्छे कार्यों को बढ़ावा देना।
5. ⇒ समय-समय पर सामाजिक कार्य करके जन चेतना का प्रचार-प्रसार करना
6. ⇒ तहसील स्तर पर सामाजिक कार्य की योजनाएँ बनाकर उन्हें लागू करना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मन्त्री/सचिव True-Copy कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

7. ⇒ समाज के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएँ बनाना व उन्हें लागू करना।

8. ⇒ समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाना।

9. ⇒ समाज के लाचार, विवश, कमजोर एवं असहाय व्यक्तियों एवं परिवारों की आर्थिक सहायता कर समाज में उनका स्तर उठाना।

10. ⇒ उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब छात्र-छात्राओं की सहायता कर उन्हें शिक्षा प्राप्ति में सहयोग करना।

11. ⇒ समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, चेतना रैली, नुक्कड़ नाटक, आदि द्वारा व्याप्त कुरूतियों की जानकारी देना।

12. ⇒ नशामुक्ति, छुआछूत, बालमजदूरी जैसी कुरूतियों को समाज से दूर हटाने का प्रयास करना।

13. ⇒ विक्षिप्त, मन्दबुद्धि एवं बेसहारा बालक-बालिकाओं व बुजुर्गों की सहायता कर समाज में उन्हें प्रतिष्ठित करना।

14. ⇒ सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।

15. ⇒ समाज में व्याप्त बेरोजगारी दूर करने हेतु सामूहिक व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करना।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
सत्यमेव जयते
जयपुर

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

कोषाध्यक्ष अध्यक्ष मन्त्री/सचिव कोषाध्यक्ष

True-copy

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	रामअवतार पारीक S/o स्व. श्रीनारायण पारीक	निजी व्यवसाय	राम कुँज, इन्द्रा कालोनी -चौमूँ (जयपुर)	अध्यक्ष
2.	शंकर लाल पारीक S/o श्री बन्शीधर पारीक	सेवा नि. शिक्षक	प्लाट न. 16 इन्द्रा विहार टारगेट कालोनी-चौमूँ (जयपुर)	उपाध्यक्ष
3.	सत्य प्रकाश पारीक S/o श्री नन्द किशोर पारीक	अध्यापन कार्य	वार्ड न 24, त्रिपोलिया SBI बैंक के पास-चौमूँ (जयपुर)	सचिव/मन्त्री
4.	ललीत कुमार पारीक S/o श्री प्रभूदयाल पारीक	निजी व्यवसाय	ग्राम - म्हार कला, वाया-सामोद तहसील - चौमूँ	कोषाध्यक्ष
5.	अटल बिहारी पारीक S/o स्व. श्री बंशीधर पारीक	सेवा. नि. नि. कर्मचारी	84, B मगध नगर कचोलिया रोड -चौमूँ	सदस्य
6.	उमेश पारीक S/o स्व. श्री मदन लाल पारीक	सेवा. नि. बैंक कर्मचारी	पुरोहितों का मोहल्ला -चौमूँ (जयपुर)	सदस्य
7.	[illegible] लाल पारीक S/o [illegible]	[illegible]	[illegible] रामपुरा डाबड़ी [illegible]	सदस्य
8.	श्रवण कुमार पारीक S/o स्व. श्री रामेश्वरलाल	व्यापार	ग्राम सिंगोद खुर्द तहसील-चौमूँ	सदस्य
9.	विनोद कुमार पारीक S/o श्री बाबु लाल पारीक	बीमा सलाहकार	केशव नगर - चौमूँ (जयपुर)	सदस्य

अध्यक्ष

मन्त्री/सचिव

True copy

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

(२५) 27

जसके प्रथम

पद

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सचिव/मन्त्री

कोषाध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.	रमेश पुरोहित S/o स्व. श्री भूरामल पुरोहित	निजी व्यवसाय	तारा कालोनी, धौली मण्डी - चौमूँ (जयपुर)	सदस्य
11.	सुरेश कुमार पारीक S/o श्री मदन लाल पारीक	जवाहरात कार्य	वार्ड नं. 27, जाटों का मोहल्ला, चौमूँ (जयपुर)	सदस्य
12.	राकेश कुमार पारीक S/o श्री अरूण कुमार पारीक	वकालत	ग्राम-सीताराम पुरा तह० चौमूँ	सदस्य
13.	महेश चन्द पारीक S/o श्री भगवान सहाय	शिक्षण कार्य	ग्राम डाबड़ी वाया रामपुरा तह० चौमूँ	सदस्य
14.	भगवान सहाय पारीक S/o स्व. श्री भूरामल पारीक	सेवा नि० कर्मचारी	ढाणी म्हाराम पुरोहितान खादी बाग - चौमूँ (जयपुर)	सदस्य
15.	कृष्ण कुमार पारीक S/o स्व. श्री मोरीलाल	सेवा नि० कर्मचारी	ग्राम डाबड़ी वाया रामपुरा तहसील - चौमूँ	सदस्य

रजिस्ट्रार संस्थाएं
सत्यमेव जयते
जयपुर

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

मन्त्री/सचिव

True-copy

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	राम अवतार पारीक S/o स्व. श्री नारायण पारीक	निजी व्यवसाय	राम कुन्ज, इन्द्रा कालोनी - चौमूँ (जयपुर)	[signature]
2.	शंकर लाल पारीक S/o स्व. श्री बन्शीधर पारीक	सेवा नि. कर्मचारी	प्लाट नं. 16, इन्द्रा विहार, टारगेट कालोनी - चौमूँ	[signature]
3.	सत्य प्रकाश पारीक S/o श्री नन्द किशोर पारीक	शिक्षण कार्य	वार्ड नं. 24, त्रिपोलिया, SBI बैंक के पास - चौमूँ	सत्यप्रकाश
4.	ललित कुमार पारीक S/o स्व. श्री प्रभुदयाल पारीक	निजी व्यवसाय	ग्राम - म्हार कलां, वाया - सामोद, त. - चौमूँ	[signature]
5.	अचल बिहारी पारीक S/o स्व. श्री बंशीधर पारीक	सेवा नि. कर्मचारी	84 B, मगध नगर, कचोलिया रोड - चौमूँ	[signature]
6.	उमेश पारीक S/o स्व. ~~श्री~~ मदन लाल पारीक	सेवा नि. कर्मचारी	पुरोहितों का मौहल्ला, - चौमूँ (जयपुर)	[signature]
7.	श्रवण कुमार पारीक S/o स्व. श्री रामेश्वर लाल	व्यवसाय	ग्राम - सिंगोद खुर्द तह. चौमूँ	[signature]
8.	विनोद कुमार पारीक S/o श्री बाबुलाल पारीक	बीमा सलाहकार	केशव नगर - चौमूँ (जयपुर)	[signature]
9.	रमेश पुरोहित S/o स्व. श्री भूरामल पुरोहित	निजी व्यवसाय	नारा कालोनी धौली मण्डी - चौमूँ (जयपुर)	रमेश

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर
सत्यमेव जयते

[signature] अध्यक्ष | सत्यप्रकाश मन्त्री/सचिव | True Copy | [signature] कोषाध्यक्ष

[signature]
कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

विधान पत्र

हस्ताक्षर

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	लोकेश पारीक S/o स्व. श्री हरिनारायण	कृषि	मु.पो. मोरीजा तह.- चौमूँ (जयपुर)	[signature]
11.	मनोज पारीक S/o श्री स्वरूपनारायण	शिक्षण संस्था में कार्यरत	केशव नगर - चौमूँ (जयपुर)	मनोज पारीक
12.	मोहन लाल पारीक S/o श्री भगवान सहाय	रेल्वे कर्मचारी	केशव नगर - चौमूँ (जयपुर)	[signature]
13.	सुरेश कुमार पारीक S/o श्री मदनलाल पारीक	जवाहरात कार्य	वार्ड न. 27, जाटों का मौहल्ला - चौमूँ (जयपुर)	सुरेश कुमार
14.	राकेश कुमार पारीक S/o श्री अरुण कुमार पारीक	वकालत	ग्राम - सीताराम पुरा वाया गोविन्दगढ़ - तह.- चौमूँ	[signature]
15.	महेश कुमार पारीक S/o श्री भगवान सहाय पारीक	शिक्षक	ग्राम - डाबड़ी वाया - रामपुरा तह.- चौमूँ (जयपुर)	[signature]
16.	भगवान सहाय पारीक S/o स्व. श्री भूरामल पारीक	सेवा नि. कर्मचारी	ढाणी म्हाराम पुरोहितान खादी बाग - चौमूँ (जयपुर)	[signature]
17.	कृष्ण कुमार पारीक S/o स्व. श्री गौरीलाल पारीक	सेवा नि. कर्मचारी	ग्राम - डाबड़ी वाया रामपुरा तहसील - चौमूँ	[signature]
18.	मोहन लाल पारीक S/o स्व. श्री मोतीलाल पारीक	कृषि	ग्राम रामपुरा डाबड़ी तह. चौमूँ	[signature]

कोषाध्यक्ष अध्यक्ष मंत्री/सचिव कोषाध्यक्ष

True copy

जयपुर

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर), राज.

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19	दीपक पारीक (उपाध्याय) S/O श्री कृष्णमुरारी पारीक	वकालत	गोविन्द मार्ग, पुरोहितो का मोहल्ला - चौमूं (जयपुर)	Deepak
20.	सुरेन्द्र पारीक S/O श्री भगवती प्रसाद पारीक	निजी व्यवसाय	A-8 किशोर नगर बिहारी पुरा रोड, चौमूं (जयपुर)	[signature]
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

[signature]
अध्यक्ष

[signature]
मन्त्री/सचिव

True - Copy

[signature]
कोषाध्यक्ष

[signature]
कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

(26) 29

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

अध्यक्ष

मन्त्री/सचिव

कोषाध्यक्ष

True Copy

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

हस्ताक्षर

कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.				
38.				
39.				
40.				

1. संस्था का पंजियन क्रमांक 431
2. संस्था का नाम महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
3. किस्त दस्तावेज ... मूल
4. दस्तावेज की ... 16
5. दिनांक पंजियन 3-8-17
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ......

रजिस्ट्रार संस्थाएं सत्यमेव जयते जयपुर

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे सामने अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

NOTARY

(साक्षी)

1. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

(साक्षी)

2. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

नोट : शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

अध्यक्ष मन्त्री/सचिव कोषाध्यक्ष

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
CHOMU DISTT-JAIPUR

True-Copy

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

(27) 80

महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति चौमूं समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नामः- इस संस्था का नाम महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति चौमूं समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय धौली मण्डी चौमूं ~~सम्पूर्ण राजस्थान~~ जयपुर जिला है तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्यः- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. समाज को एक मंच पर जोड़ना।
2. समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं बुराईयों को दूर करने हेतु जागृति लाना।
3. निरक्षर बालक बालिकाओं को साक्षर करवाने में योगदान देना।
4. समाज में सामूहिक विवाह जैसे अच्छे कार्यों को बढ़ावा देना।
5. समय-समय पर सामाजिक कार्य करके जन चेतना का प्रचार प्रसार करना।
6. तहसील स्तर पर सामाजिक कार्य की योजनाएँ बनाकर उन्हें लागू करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

कोषाध्यक्ष अध्यक्ष मंत्री/सचिव

True - copy कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
(चौमूं) राज.

7. समाज के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएँ बनाना एवं उन्हें लागू करवाना।

8. समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाना।

9. समाज के लाचार, विवश, कमजोर एवं असहाय व्यक्तियों एवं परिवारों की आर्थिक सहायता कर समाज में उनका स्तर उठाना।

10. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब छात्र-छात्राओं की सहायता कर उन्हे शिक्षा प्राप्ति में सहयोग करना।

11. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, चेतना रैली, नुक्कड़ नाटक आदि द्वारा व्याप्त कुरीतियों की जानकारी देना।

12. नशामुक्ति, छुआछूत, बालमजदूरी जैसी कुरीतियों को समाज से दूर हटाने का प्रयास करना।

13. विक्षिप्त, मन्दबुद्धि, एवं बेसहारा बालक बालिकाओं व बुजर्गों की सहायता कर समाज में उन्हे प्रतिष्ठित करना।

14. सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।

15. समाज में व्याप्त बेरोजगारी दूरी करने हेतु सामूहिक रूप से व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ने हेतु बेरोजगारों को प्रोत्साहित करना।

—x—

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

मन्त्री/सचिव

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

(28) 31

4. सदस्यता :-	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-
	1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
	2- बालिग हों।
	3- पागल, दीवालिये न हों।
	4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
	5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।
5. सदस्यों का वर्गीकरण :-	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-
	1-संरक्षक
	2-विशिष्ठ
	3-सम्माननीय
	4-साधारण
	(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)
6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा	उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-
	1-संरक्षक राशि 5100/- वार्षिक/आजन्म
	2-विशिष्ठ राशि 3100/- वार्षिक/आजन्म
	3-सम्माननीय राशि........................वार्षिक
	4-साधारण राशि 200/- वार्षिक/आजन्म
	उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. 200/- मासिक की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।
7. सदस्यता से निष्कासन :-	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-
	1-मृत्यु होने पर
	2-त्याग-पत्र देने पर
	3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
	4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

मन्त्री/सचिव

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
...र्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:–

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :–

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :–

1–प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2– वार्षिक बजट पारित करना।

3– प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4– संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :–

1– साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2– साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3– बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4– कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5– संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष मन्त्री/सचिव कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

(२९७) 32

11. कार्यकारिणी का गठन :-

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक

3. मन्त्री-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक

5. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ....4........ पदाधिकारी व ....11........ सदस्य कुल ....15........ सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :-

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

कोषाध्यक्ष   अध्यक्ष   मन्त्री/सचिव   True - Copy   कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

14. कार्यकारिणी की बैठकें :-

1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1-अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष   मन्त्री/सचिव   कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज,

(307 53

न आवश्यकता

क होगा।

ठक की सूचना

निर्धारित स्थान
ता नहीं होगी।
स्थगित बैठक
पदाधिकारियों
गामी आम सभा

गे :–

योग करना।

3- आय–व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4–उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5–कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :– संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा:–

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन–देन संभव होगा।

कोषाध्यक्ष अध्यक्ष मन्त्री/सचिव

True copy कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :- संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार भिम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :-

1-अध्यक्ष 21000/- रु.

2-मन्त्री 21000/- रु.

3-कोषाध्यक्ष 21000/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

1. संस्था का क्रमांक 431
2. संस्था का नाम महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति चौमू
3. किस्म दस्तावेज ... मूल
4. दस्तावेज की सं. ... 16
5. दिनांक प्रमाणन 3-8-17
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ...

18. संस्था का अंकेक्षण :- संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :- रजिस्ट्रार संस्थाएं ...जयपुर... को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

(मुहर: रजिस्ट्रार संस्थाएं, सत्यमेव जयते, जयपुर)

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) ...महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति... समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958
की धारा 19 के तहत
यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था
विषय में दाखिल कराये गये दस्तावेज जो
पृष्ठ सं. 4 से पृष्ठ सं. 20
तक है की सत्यप्रति है।
1 नकल देने की दिनांक 3-8-17
2 नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर ...

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

20

अध्यक्ष मन्त्री/सचिव कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमू (जयपुर) राज.

(317-34)

शपथ-पत्र का प्रपत्र

फोटो

मैं .... पुत्र ....
आयु .... निवासी ....
[अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष] प्रस्तावित संस्था ....
.... का सशपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि:-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था .... के पंजीयन हेतु कुल .... आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य मेरी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

नोट :- प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावे। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पासपोर्ट साईज फोटो चस्पाकर प्रमाणित करवायी जावे।

अध्यक्ष मंत्री/सचिव True copy कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी संस्था .... के सशपथ घोषणा करते हैं कि:-

1. हमारी संस्था का पंजीयन सं. .... दिनांक .... है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य .... हैं।
3. संस्था की आम सभा दिनांक .... को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक .... को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. ~~प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।~~
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक .... की सूचना का नोटिस दिनांक .... को समस्त सदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

नोट :- निर्वाचित प्रबन्धकारिणी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले पत्रादि के साथ संस्था के तीन अधिकृत पदाधिकारीयों द्वारा शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जावे। तीन पदाधिकारियों के फोटो संलग्न करना है।

अध्यक्ष

मंत्री/सचिव

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

(32) 35

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाऐं प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।

2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:–

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।

4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद पूर्व में संशोधन हेतु बुलायी गयी विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।

5. द्वितीय विशेष साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।

6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।

7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र

हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।

10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

True Copy

कोषाध्यक्ष
...र्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

- अधिसूचना संख्या प. 4(5)सह/91 दिनांक 11.2.2003 द्वारा प्रदेश में अकाल की स्थिति को देखते हुए पशुधन की सुरक्षा हेतु आदेश की तिथि से पंजीकृत होने वाली प्रत्येक गौ-सेवा समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 100/- रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है।

- अधिसूचना संख्या प.4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 7.7.2003 द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.6.2003 के द्वारा प्रदेश में राजीव गांधी पेयजल मिशन अंतर्गत सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट सोसाइटी जलधारा समितियां, भू-जल संरक्षण विभाग के अन्तर्गत वाटर शेड्स कार्यक्रम की क्षेत्रीय समितियों के पंजीयन के लिए जन साधारण की भागीदारी को देखते हुए पंजीयन शुल्क 1000.00 रु. निर्धारित किया गया था, में शिथिलता प्रदान कर सभी पेयजल व्यवस्था से संबंधित समितियों का पंजीयन शुल्क रु. 500/- निर्धारित किया जाता है ।

- अधिसूचना संख्या प.4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 30.9.2003 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नेहरू युवा मण्डल स्थापित किये जाने के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 2500/- रु. में शिथिलता प्रदान कर पंजीयन शुल्क 250/- रुपये निर्धारित किया जाता है । घटी हुई राशि की सुविधा केवल उन्हीं नेहरू युवा मण्डलों को दी जावेगी, जो नेहरू युवा केन्द्र के उपनियमों के तहत पंजीकृत हों ।

- अधिसूचना क्रमांक प.4 (5) सह/91 दिनांक 25.11.2010 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 2500/- रूपये के स्थान पर 5000/- रूपयें निर्धारित करती है ।

- अधिसूचना क्रमांक प.4 (5) सह/91 दिनांक 3.5.2012 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 5000/- रूपये के स्थान पर 10000/- रूपयें निर्धरित करती है ।

True Copy

कोषाध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

भारत INDIA 50 पचास रुपये FIFTY RUPEES SPECIAL ADHESIVE

17 FEB 2022

NOTARY Kailash Chandra Saini Advocate Chomu Reg. No.-13950 Exp.Date-21-2-2024 GOVT. OF INDIA

—:: शपथ पत्र ::—

मैं [illegible] पारीक पुत्र स्व0 श्री श्रीनारायण पारीक उम्र 61 वर्ष, जाति पारीक, निवासी इन्दिरा कॉलोनी, कस्बा चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला–जयपुर जरिये अध्यक्ष महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति (रजि0) चौमूँ तहसील चौमूँ, जिला–जयपुर का हूँ जो कि निम्न बयान शपथ पूर्वक करता हूँ कि :—

1. यह कि मै शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि जयपुर शहर एवं जयपुर जिले मे नगर निगम/नगर पालिका/स्थानी निकाय विभाग तथा जिला कलक्टर कार्यालय एवं जयपुर विकास प्राधिकरण से महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति (रजि0) चौमूँ को कहीं भी भूखण्ड आवंटन नही हुआ है।
2. यह कि मै शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि यह संस्था सामाजिक कार्य जैसे सामुहिक विवाह, प्रतिभा सम्मान समारोह, वृद्धजन सम्मान समारोह, परिवार कल्याण एवं समस्त मानव समाज के लिए कार्य करती है।
3. यह कि मै शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि उक्त संस्था परोपकारी गतिविधियां ही संचालित करेगी, इसे व्यवसाय वाणिज्यक की कोई गतिविधियां संचालित नही करेगी।
4. यह कि इस शपथ पत्र को मेरा साक्ष्य समझा जावें।

ह0 शपथ ग्रहिता ....
अध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

सत्यापन

मैं, उपरोक्त शपथ ग्रहिता बहल्फ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है, इसमे कोई भी तथ्य छिपाया गया नही है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

ह0 शपथ ग्रहिता ....
अध्यक्ष
महर्षि पराशर (पारीक) सेवा समिति
चौमूँ (जयपुर) राज.

ATTESTED
23-2-2022
NOTARY PUBLIC
CHOMU DISTT-JAIPUR